संख्या:72/2026/545/35-4-2026/35-4002(003)/68/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सीतापुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 30 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1612/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 13 मार्च, 2026 एवं पत्र सं0-1626/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 18 मार्च, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद- सीतापुर में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू. **4679.81** लाख (रूपये छियालीस करोड़ उन्यासी लाख इक्यासी हजार मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **1169.00** लाख (रूपये ग्यारह करोड़ उन्हत्तर लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	मो0 दुर्गापुरवा पुल से नकवी हाउस होते हुए सिटी स्टेशन होते हुए तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	970	101.04	25.00	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम
2	मो0 तामसेनगंज डा0 आलोक जौहरी अस्पताल से रम्पा टाकिज होते हुए घण्टाघर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	615	79.13	20.00	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम
3	ब्लाक खैराबाद ग्रा0 पं0खपूरा मेन रोड से जयपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	512	78.00	20.00	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम
4	ब्लाक खैराबाद भुइंयाताली तीर्थ परिसर में सामुदायिक केन्द्र निर्माण कार्य।		133.82	33.00	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम
5	ब्लाक एलिया ग्रा0प0 पीतपुर ग्राम रजिस्टरपुरवा में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।		133.82	33.00	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम
6	वि0खं0 सिधौली, ग्रा0पं0 टिकौली ओरी लाल के घर से रामप्रकाश के घर होते हुये राजेश शुक्ला, गंगादेई के घर से सी0सी0 रोड तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	655	54.02	14.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

7	विकास खंड गोंदलामऊ , ग्राम पं0 तौकलपुर डामर रोड से प्रा० वि० तक सी० सी० व नाली निर्माण कार्य |	505	39.19	10.00	ग्रा0अभि0वि1
8	वि0खं0 गोंदलामाऊ कुर्सी रामपाल के घर से प्रदीप के घर होते हुये धर्मेश के घर तक सी0सी0/इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	530	44.84	11.00	ग्रा0अभि0वि2
9	वि0खं0 कसमण्डा, ऊंचाखेड़ा सदन खेड़ा में डामर रोड से मिश्री लाल के घर, शम्भू के घर से रामनरेश के घर व चन्द्रिका प्रसाद के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	500	38.79	10.00	ग्रा0अभि0वि3
10	वि0खं0 गोंदलामाऊ जोहरियामाऊ सी0सी0 रोड से सुनील के घर होते हुए पुत्तीलाल रावत के खेत तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	600	60.60	15.00	ग्रा0अभि0वि4
11	वि0खं0 सिधौली सराय बघइया में डामर रोड से हनुमान अवस्थी मार्केट से पुलिया होते हुये राम किषोर के घर होते हुये अम्बेडकर पार्क से काली जी के मन्दिर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	685	68.13	17.00	ग्रा0अभि0वि5
12	वि0खं0 कसमण्डा ग्रां0पं0 रमनगरा बहादुरपुर हरेश यादव के घर से गया प्रसाद के घर, खडण्जा से कुंवर रावत खडाण्जा से सुरेश के घर तक, डामर रोड से पृथ्वीराज के मकान तक, डामर रोड से सुरेन्द्र के मकान तक, खड़ण्जा से रामू के मकान तक, डामर रोड से हौंसला मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग नाली निर्माण कार्य।	700	54.85	14.00	ग्रा0अभि0वि6
13	वि0खं0 पहला पलिया छोटा नजीराबाद में डामर रोड से सन्तोष कुमार के घर, मेवालाल के घर से तिराहे तक इण्टरलाकिंग नाली निर्माण कार्य।	675	47.45	12.00	ग्रा0अभि0वि7
14	वि0खं0 सिधौली ग्रा0पं0 नयागाव डामर रोड से बाग तक, पवन सिंह के घर से राजेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग नाली निर्माण कार्य।	730	55.73	14.00	ग्रा0अभि0वि8

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

15	वि0खं0 कसमण्डा, ग्रा0पं0 अलोइया सीमा तक़ गुड्डू प्रजापति के घर से डामर रोड, बाबू केषन, जसकरन के घर तक इण्टरलाकिंग नाली निर्माण कार्य।	500	35.64	9.00	ग्रा0अभि0वि9
16	ब्लाक खैराबाद ग्राम उनसिया डामर रोड से गोबिन्दा सरांय मार्ग तक	1065	98.91	25.00	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम
17	जैनीपुर से ठाकुरपुर के बीच स्थित रपटा एवं खण्डंजा का निर्माण कार्य।	968	52.63	13.00	ग्रा0अभि0वि0
18	विकास खण्ड रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत समनपुर माफी में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	0	73.08	18.00	ग्रा0अभि0वि0
19	विकास खण्ड महमूदाबाद की ग्राम पंचायत कांसा में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	0	73.08	18.00	ग्रा0अभि0वि0
20	विकास खण्ड महमूदाबाद के ग्राम सभा मझगवां के ग्राम मनोहरापुर के पुरवा जंगलपुरवा में रजपरापुर-मनोहरापुर मार्ग से कल्लू भार्गव के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	520	41.58	10.00	ग्रा0अभि0वि0
21	ग्राम हेलेपारा स्थित रपटा पुलिया का निर्माण कार्य।	125	48.14	12.00	ग्रा0अभि0वि0
22	वि0 खण्ड पहला के ग्राम बिलौली बाजार में महमूदाबाद-बिसवा मुख्य मार्ग से बिलौली ग्राम तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य।	215	25.06	6.00	ग्रा0अभि0वि0
23	विकास खण्ड पहला की ग्राम सभा भुडकुडा में पुलिया से पहले दमुवापुर खमरिया डामर रोड तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	704	65.75	16.00	ग्रा0अभि0वि0
24	विकास खण्ड पहला के ग्राम सभा बाबूपुर पहला मुख्य मार्ग से बढियाडीह प्रा0वि0 तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	740	60.56	15.00	ग्रा0अभि0वि0
25	विकास खण्ड महमूदाबाद के ग्राम सभा सियारूखेडा में मुख्य मार्ग से आइस्क्रीम फैक्ट्री के बगल से ग्राम लखनीपुर में इण्टरलाकिंग रोड का निaर्माण कार्य।	201	23.36	6.00	ग्रा0अभि0वि0
26	विकास खण्ड रामपुर मथुरा के ग्राम सेमरी में शिव मंदिर से बेनीपुर मार्ग पर स्थित श्री निवास मौर्य के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	425	42.67	11.00	ग्रा0अभि0वि0
27	पिसावां में बरगावां मार्ग से नितेश के मकान तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	575	78.66	20.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

28	पिसवां में ग्राम बाजनगर से करमलकुंइया तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	960	82.20	21.00	ग्रा0अभि0वि0
29	सेमरवां डामर रोड से समर के खेत तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	525	44.71	11.00	ग्रा0अभि0वि0
30	ग्राम अल्हना से डामर रोड तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	900	72.47	18.00	ग्रा0अभि0वि0
31	ग्राम रमुवापुर में अनिल सिंह के मकान से राजकीय नलकूप तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	810	73.34	18.00	ग्रा0अभि0वि0
32	मुसब्बरपुर यज्ञशाला से फखरपुर-फरीदपुर मार्ग तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	770	60.78	15.00	ग्रा0अभि0वि0
33	चमार बाग में रजबहा पुलिया से बाबा ध्यानदास कुटी से होते हुए ग्राम लालपुर तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	850	81.39	20.00	ग्रा0अभि0वि0
34	विकास खण्ड-रामपुर मथुरा के भयापुर कोडरी सिद्धबाबा स्थान के बीच गोबरहीया नाले पर रपटा व इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	625	162.37	41.00	लो0नि0वि0
35	विकास खण्ड-रामपुर मथुरा के रामपुर टिकठा में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।		57.97	14.00	लो0नि0वि0
36	विकास खण्ड-रेउसा के थानगाव में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।		57.97	14.00	लो0नि0वि0
37	विकास खण्ड-रेउसा के सेमरा में सोबरन के मकान से बाबादीन के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	500	47.45	12.00	लो0नि0वि0
38	विकास खण्ड-रेउसा की ग्रा0पं0 तरसेवरा के मजरा हलीमनगर चन्दौली सम्पर्क मार्ग से विद्यालय तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	600	58.58	15.00	लो0नि0वि0
39	विकास खण्ड- रेउसा में शंकरपुर झिसनी से शुक्लनपुरवा तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	820	77.02	19.00	लो0नि0वि0
40	सामुदायिक केन्द्र ग्राम ढखेरा विकास खण्ड लहरपुर का निर्माण कार्य।		75.76	19.00	लो0नि0वि0
41	विकास खण्ड बेहटा में लहरपुर-भदफर मार्ग से विलायतपुर तक इन्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	1050	121.27	30.00	लो0नि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

42	विकास खण्ड हरगाव में लहरपुर-लखीमपुर मार्ग से ओझियापुर तक इन्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	1009	93.77	23.00	लो0नि0वि0
43	विकास खण्ड लहरपुर में ताहपुर पेंटेड कल्लू की दुकान से दयालनाथ बाबा मन्दिर तक इन्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	650	60.28	15.00	लो0नि0वि0
44	विकास खण्ड हरगाव मे ग्राम मदनापुर से कबीरपुर तक इन्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	935	78.16	20.00	लो0नि0वि0
45	विकास खण्ड-हरगाव के ग्राम विशुनूपुर प्रा0वि0 से पेन्टेड रोड तक इन्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	815	70.78	18.00	लो0नि0वि0
46	ग्राम पं0 बनियामऊ के मजरा अमलिहा में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।		72.67	18.00	ग्रा0अभि0वि0
47	ग्राम पं0 मधवापुर में अन्त्येष्टि स्थल से नलकूप होते हुए संजू के घर की ओर अवशेष इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	670	64.79	16.00	ग्रा0अभि0वि0
48	मुड़ौली बाजार से जगदीशपुर-लोंहगपुर मार्ग की ओर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	728	61.03	15.00	ग्रा0अभि0वि0
49	ग्राम बघौना, ग्रा0पं0 गौरिया में डामर रोड से तेजी राम बीडीसी के घर से प्रा0वि0 होते हुए रामू पाल के घर की ओर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	820	75.85	19.00	ग्रा0अभि0वि0
50	ग्राम पं0 रमुवापुर से मिरचैड़ी मार्ग से रमुवापुर की ओर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	606	52.07	13.00	ग्रा0अभि0वि0
51	ग्राम पं0 मधवापुर में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।		72.67	18.00	ग्रा0अभि0वि0
52	सहादतनगर से रंजीतपुर की ओर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	700	58.71	15.00	ग्रा0अभि0वि0
53	ग्राम पं0 बक्छेरवा के ग्राम अलीनगर में अनिल कुमार के घर से ब्रम्हबाबा के स्थान की ओर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	50.05	13.00	ग्रा0अभि0वि0
54	विकास खण्ड बेहटा के अन्तर्गत ग्राम ओरीषाहपुर में होलिका दहन स्थान से कम्पोजिट विद्यालय तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	500	37.77	9.00	यू0पी0पी0सी0एल0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

55	विकास खण्ड बेहटा के अन्तर्गत ग्राम सुमली में मूलचन्द के घर से रमजान बेहड़ा के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	800	60.43	15.00	यू0पी0पी0सी0एल0
56	बी० एल०एस०डी० इन्टर कॉलेज से ग्राम जसवंत नगर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य |	813	64.86	16.00	ग्रा0अभि0वि0
57	रव्वापुर नेवादा मार्ग से गठियाखुर्द तक इन्टरलाकिंग निर्माण।	350	28.25	7.00	ग्रा0अभि0वि0
58	ग्राम मसेनामउ पेन्टेड मार्ग से ग्राम गोसरपुर तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	420	39.18	10.00	ग्रा0अभि0वि0
59	नसीरपुर मुख्य मार्ग से बिसेडन के मजरा जोड़ईपुर तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	39.33	10.00	ग्रा0अभि0वि0
60	ग्राम कल्यानपुर से कैमहरा खुर्द मार्ग पर इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	850	70.90	18.00	ग्रा0अभि0वि0
61	कुतुबपुर मसेनामऊ मार्ग से ग्राम कालूपुर तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	390	36.74	9.00	ग्रा0अभि0वि0
62	मानपुर कटिया में संजय गांधी मार्ग से कृषि विज्ञान केंद्र तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	615	49.09	12.00	ग्रा0अभि0वि0
63	देबियापुर – पोखराकलां मार्ग से ग्राम नदईपुरवा में रामू के घर तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	825	68.23	17.00	ग्रा0अभि0वि0
64	मुख्य डामर रोड से राजकुमार के घर होते हुए नकारा संपर्क मार्ग तक इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	440	43.84	11.00	ग्रा0अभि0वि0
65	ग्राम पंचायत, पखनियापुर में मुख्य पेन्टेड मार्ग से भार्गव बस्ती होते हुए सी0सी0 रोड तक इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	600	58.09	15.00	ग्रा0अभि0वि0
66	वि0खं0 लहरपुर के अन्तर्गत जीतामाऊ तालगांव मार्ग फत्तेपुर से रमेश खेड़ा तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1650	141.20	35.00	यू0पी0पी0सी0एल0
67	वि0खं0 महमूदाबाद के अन्तर्गत महमूदाबाद-पैंतेपुर मार्ग पर सरोज शुक्ला के खेत से मोहल्ला सुन्दौली बस्ती तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	42.79	11.00	यू0पी0पी0सी0एल0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

68	विकास खण्ड मिश्रिख अन्तर्गत मछरेहटा सम्पर्क मार्ग पर रेलवे क्रांसिग के आगे से बहुती मोड तक आर0सी0 सी0 नाले का निर्माण कार्य।	800	275.66	69.00	यू0पी0पी0सी0एल0
69	विकास खण्ड मछरेहटा अन्तर्गत अनोगीगढ़ी सम्पर्क मार्ग से सामुदायिक केन्द्र होते हुए दुजई के मकान तक इन्टरलाकिंग कार्य।	500	30.81	8.00	यू0पी0पी0सी0एल0
	महायोग:		**4679.81**	**1169.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सैंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उक्त कार्यों में से (1) क्रमांक-4, 5, 18, 19, 35, 36, 40, 46 एवं 51 पर इंगित कार्य पर होने वाले व्यय रू0 1,85,00,000 (रू0 एक करोड़ पच्चासी लाख मात्र) को **लेखाशीर्षक-**4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-800-अन्य व्यय-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-**0305- सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण** हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे, (2) क्रमांक-68 पर इंगित कार्य पर होने वाले व्यय रू0 69,00,000 (रू0 उन्नहत्तर लाख मात्र) को **लेखाशीर्षक- 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 02-मल जल तथा सफाई-101-शहरी सफाई सेवायें-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-जल निकासी कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24- वृहद निर्माण कार्य** के नामे तथा (3) शेष कार्यों पर होने वाले व्यय रू0 9,15,00,000 (रू0 नौ करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) को **लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:72/2026/545(1)/35-4-2025/35-4002(003)/68/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/पंचायतीराज/नगर विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सीतापुर।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सीतापुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।